

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 468(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 22.01.2003 की अधिसूचना सं० का०आ० 60 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “शिव शक्ति सत्य साईं चेरिटेबल ट्रस्ट, सं० 3, पोन्नीयाम्मन कोएल स्त्री, अल्पाक्कम, चेन्नै-600 116” द्वारा “शिव शक्ति सत्य साईं चेरिटेबल ट्रस्ट के लिए कॉर्पर्स निधि” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 1 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं० का०आ० 1005 (अ०) द्वारा 2006-07 को प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं० का०आ० 1464 (अ०) द्वारा 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं० का०आ० 1874 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “शिव शक्ति सत्य साईं चेरिटेबल ट्रस्ट, सं० 3, पोन्नीयाम्मन कोएल स्त्री, अल्पाक्कम, चेन्नै-600 116” द्वारा चलाई जा रही “शिव शक्ति सत्य साईं चेरिटेबल ट्रस्ट के लिए कॉर्पर्स निधि” की परियोजना अथवा स्कीम को 800.00 लाख रुपये (कॉर्पर्स निधि सहित) की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 98/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)